

मांग संख्या 57
मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 1 से 16

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है। अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षों को खोला जाना आवश्यक है। उक्त शीर्षों में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी। अतः नवीन शीर्षों हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।